तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
21.08.2025	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के वकील उपस्थित । दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण को तहसीलदार सिवाना द्वारा विवादित भूमि का सीमाज्ञान करने की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिंज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर नेखम कायम करना चाहते है प्रार्थी विवादित भूमि का रेकडेर्ड खातेदार है, विवादित भूमि का सीमाज्ञान करने से पक्षकारन के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2621/297 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाख़िल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 /2070 दिनांक : 21-08-2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
रक्षित माथुर पुत्र गिरीश माथुर		रकमो देवी पत्नी प्रभूराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं: 173 / 2024 दिनांक :– 21.08.25

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सिवाना तहसील सिवाना की खसरा संख्या 2621 / 297 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / –प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 /2071-2074 दिनांक : 21-08-2025
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी सिवाना तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी रक्षित माथुर पुत्र गिरीश माथुर जाति माथुर निवासी जालोर तहसील जालोर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:10:28 IST
Reason: SelfAttested